मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 02.05.2019 तथा 03.05.2019 को लोक सेवा प्रदायगी को और बेहतर बनाने हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों पर हुयी चर्चा की कार्यवाही।

मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 02.05.2019 तथा 03.05.2019 को लोक सेवा प्रदायगी को और बेहतर बनाने पर विभागों द्वारा आयोजित चिंतन शिविरों में प्राप्त सुझावों तथा उनको क्रियान्वित करने हेतु विभागों की कार्य योजनाओं पर चर्चा हुयी, जिसपर निम्नानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने पर सहमति बनी:-

1. सभी विभागों में कारगर समन्वयन तथा बेहतर मीडिया प्रबंधन के क्रम में एक-एक Public Relation Officer के पद के सृजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये।

(अनुपालनः सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग)

2. नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी किये जाने की व्यवस्था को लागू किया जाए। सभी जिला पदाधिकारी प्रत्येक माह तथा सभी विभाग नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग इसका अनुश्रवण करेगा।

(अनुपालनः सभी विभाग)

3. सभी विभागों के पास विभिन्न तरह के डाटाबेस संधारित है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग आदि। इनको श्रेणीबद्ध कर संधारित किया जाय तथा प्रचार प्रसार के समय इनका उपयोग लक्षित अभियानों में किया जाय। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग समन्वय करेगा।

(अनुपालनःसभी विभाग)

4. प्रचार क्रम में दिखायी जाने वाले फिल्मों के साथ फीचर फिल्म को भी शामिल किया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया जा सके।

(अनुपालनः सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग)

5. सभी सचिवालय भवन एवं समाहरणालय भवन में Common Room with library, Crèche, Gym हेतु भवन निर्माण विभाग जगह उपलब्ध कराये। समाज कल्याण विभाग Crèche की व्यवस्था करेगा तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग library, Gym तथा Common Room amenities की व्यवस्था करेगा।

(अनुपालनः भवन निर्माण विभाग,समाज कल्याण विभाग तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग)

6. परिवहन विभाग द्वारा दी जाने वाली लोक सेवाओं यथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का निबंधन, विभिन्न अनुज्ञप्तियों का निर्गमन/ नवीकरण/ परिदान, विभिन्न परमिटों का निर्गमन, कर संग्रहण, इ-चालान, प्रदुषण प्रमाण-पत्र निर्गमन आदि के पूर्णरूपेण ऑनलाइन किये जाने के प्रस्तावों पर विभाग अपना कार्य योजना शीघ्र तैयार करे एवं इसी माह में सक्षम प्राधिकार से सहमति प्राप्त करने की कार्रवाई करे।

(अनुपालनः परिवहन विभाग)

7. परिवहन विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी लोक सेवाओं के पूर्णरूपेण ऑनलाईन हो जाने के फलस्वरूप बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत आच्छादित परिवहन विभाग की सेवाओं के सेवा प्रदायगी हेतु निर्धारित समय मे होने वाले बचत के अनुसार समय सीमा घटाने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए।

(अनुपालनःपरिवहन विभाग)

8. प्रदूषण नियंत्रण हेतु दूसरे वाहन क्रय पर अधिक कर निर्धारण, ईलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापना तथा अन्य उपायों पर विभाग विचार कर प्रस्ताव तैयार करे।

(अनुपालनःपरिवहन विभाग)

9. परिवहन विभाग एवं नगर विकास विभाग समन्वयन कर बस अड्डों (Bus Stands) तथा बस पड़ावों (Bus Stops) के विकास तथा रख रखाव हेतु नीति तैयार करें।

(अनुपालनःपरिवहन विभाग तथा नगर विकास विभाग)

10. जन्म एवं मृत्यु के त्वरित पंजीकरण तथा प्रमाण पत्र वितरण, शिशु के नाम में बदलाव, आदि हेतु सभी हितधारक तथा उनके पास उपलब्ध व्यवस्था को दृष्टिगत रखकर कारगर ऑनलाईन योजना बनायी जाए।

(अनुपालनः योजना एवं विकास विभाग)

11. योजनाओं के मूल्यांकन हेतु तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन हेतु योजना एवं विकास विभाग एक ठोस व्यवस्था बनायें जिसका अन्य विभाग भी उपयोग कर सकें। लोक सेवा प्रदायगी से संबधित विभाग अपने योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराये। ग्रामीण विकास विभाग इसका समन्वयन करेगा।

(अनुपालनः योजना एवं विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य संबधित विभाग)

12. Water ATM की स्थापना हेतु शीघ्र कार्य योजना बनायी जाए।

(अनुपालनःलोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग)

13. पानी आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु कॉल सेंटर एवं आनलाईन आधारित व्यवस्था स्थापित की जाए। ऐसे शिकायतों का 24 घंटे के अंतर्गत निराकरण किया जाये। इस हेतु विभाग द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। शिकायतों के निराकरण हेतु प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक त्वरित निराकरण दल (QRT) गठित किया जाये तथा इनके कार्यों का अनुश्रवण जिला नियंत्रण कक्ष से किया जाये। शिकायत के निराकरण की प्रगति की सूचना शिकायतकर्ता को SMS द्वारा देने का प्रावधान किया जाए।

(अनुपालनःलोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग)

14. पुराने सड़कों की मरम्मति को प्राथमिकता दी जाये। सड़क मरम्मति कार्य को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत शामिल किये जाने के बिन्दू पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। इस क्रम में संसाधन हेतु व्यवस्था भी कर ली जाए।

(अनुपालनःग्रामीण कार्य विभाग)

15. पंचायत स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु आवश्यक व्यवस्था लागू करने हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग आवश्यक कार्रवाई करे।

(अनुपालनः सूचना प्रावैधिकी विभाग)

16. सभी स्तर की बैठकें यथा संभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किये जाय ताकि पदाधिकारियों को बार-बार मुख्यालय बुलाने की आवश्यकता नहीं रहे। सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध में निदेश निर्गत करे।

(अनुपालनः सभी विभाग)

17. डी0जी0 लॉकर (Digi-locker) का सभी विभागों के द्वारा उपयोग हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग जरूरत का आकलन करे और दिशा निर्देश निर्गत करे।

(अनुपालनः सूचना प्रावैधिकी विभाग)

18. पर्यटकों के लिए Open to Sky (Hop on Hop off) वाहनों की सेवा 15 अगस्त 2019 से शुरु किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अनुपालनः पर्यटन विभाग)

19. पर्यटन के विकास हेतु सभी दर्शनीय/ पर्यटकों को लूभाने वाले स्थलों की सूची बना कर तदनुसार प्रचार प्रसार सामग्री विकसित कर प्रचार-प्रसार किया जाए। इन स्थलों के संबंध में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को दृष्टिपथ रखकर फिल्में बनायी जाये तथा उनका सोशल मीडिया, पर्यटन से संबंधित प्रोग्राम दिखाने वाले चैनलों के माध्यम से प्रसार किया जाये। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनो तथा भीड़-भाड़ की जगहों पर LED display/ होर्डिंग लगाया जाये। पत्रिकाओं, विशेषकर पर्यटन से संबधित पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करने हेतु योजना बनायी जाय। पर्यटकों को केंद्रित कर उनसे यात्रा वृत्तांत (travelogue) प्राप्त कर प्रकाशित किये जाने और उनको पुरस्कृत किये जाने पर भी विचार किया जाये।

(अनुपालनः पर्यटन विभाग)

20. सड़क के किनारे बनाये जाने वाले way side amenities को पर्यटन विभाग एवं अन्य कार्य विभाग विकसित करें। इनके रख रखाव हेतु पर्यटन विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा। इसके लिये लोक निजी भागीदारी (PPP mode) का भी उपयोग किया जाय।

(अनुपालनः पर्यटन विभाग तथा संबंधित कार्य विभाग)

21. सचिवालय के भवनो, कक्षों, शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करने हेतु सबंधित परिसर में बैठने वाले वरीयतम पदाधिकारी (अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव) की अध्यक्षता में स्वच्छता समितियाँ गठित की जाए जो नियमित रूप से संबंधित परिसर के सफाई व्यवस्था का अनुश्रवण करेगी। स्वच्छता समिति द्वारा शौचालयों के सफाई पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसी समिति द्वारा प्रत्येक पक्ष में सचिवालय परिसर से junk disposal हेतु अभियान चलाया जायेगा। भवन निर्माण विभाग द्वारा इसका समन्वयन किया जायेगा।

(अनुपालनः भवन निर्माण विभाग)

22. जहाँ सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है वहाँ यथा संभव सड़क के एक तरफ से चौड़ीकरण की नीति बनायी जाए। पहली बार बनने वाली सड़क (Green field project) के मामले में सड़क हेतु उपलब्ध जमीन के दोनों किनारे से सड़क बने और सड़क के मध्य में भविष्य मे चौड़ीकरण के लिए हरित क्षेत्र का प्रावधान किया जाये ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके।

(अनुपालनः सभी संबंधित कार्य विभाग)

23. जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण नही हुआ है वहां अन्य सरकारी भवन में (सामुदायिक भवनों को छोडकर) अथवा किराया पर भवन लेकर पंचायत कार्यालय स्थापित किये जायें। बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत आच्छादित सेवायें जो ऑनलाईन हैं तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा वर्तमान में पंचायत सरकार भवन में

(5)

स्थापित काउंटर के माध्यम से निशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। शेष सभी पंचायत भवनों मे भी इस व्यवस्था का विस्तार किया जाए। इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाये। किराये पर लिये गये पंचायत भवनों में RTPS विस्तार केंद्र खोले जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

(अनुपालनः पंचायती राज विभाग तथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी)

24. गांवों में नियमित सफाई की व्यवस्था (कुड़ा उठाव, छांटना, recycling- कबाड़ी के साथ संबद्धता, कम्पोस्ट, land fill, गलियों एवं नालियों की सफाई) हेतु योजना तैयार की जाय। सभी पंचायतों में एक साथ लागू किया जाए।

(अनुपालनः ग्रामीण विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग)

25. प्रमंडल स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों को उन्नत तथा क्रियाशील करने की दिशा में सामान्य प्रशासन विभाग आवश्यक कर्रवाई करें।

(अनुपालनः सामान्य प्रशासन विभाग)

26. सड़क निर्माण एवं सड़क विस्तार हेतु Land Pooling की नीति तैयार की जाए।

(अनुपालनः पथ निर्माण विभाग)

27. स्थानीय कृषि यंत्रों के लोकल निर्माण को बढावा दिया जाए।

(अनुपालनःकृषि विभाग)

28. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार लोक सेवा आयोग तथा अन्य आयोग द्वारा किये जा रहे नियुक्ति के उपरांत बचे अभ्यर्थियों के पैनल का निर्माण जिसका उपयोग अन्य विभाग/ बोर्ड/ कॉरपोरेशन आदि अपने यहाँ संविदा पर नियोजन हेतु कर सके, के लिए नीति बनाने पर विचार करें।

(अनुपालनः सामान्य प्रशासन विभाग)

29. सदाचार की भावना से किये गये सरकारी कार्यों का कालांतर के जाँच में आरोप के आधार पर निगरानी अन्वेषण ब्युरो द्वारा प्राथमिकि दर्ज कर दी जाती है तो इसका कुप्रभाव सामान्य प्रशासन पर पड़ता है। इसपर सम्यक विचारोपरांत अग्रेतर कार्रवाई विभाग को करनी चाहिए।

(अनुपालनःनिगरानी विभाग)

सधन्यवाद बैठक का कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/-

मुख्य सचिव
बिहार, पटना

ज्ञापांक- **बि०प्र०सु०मि०सो०/ विविध- 06/19** 868 पटना, दिनांक- 08/05/2019

प्रतिलिपि- विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.5.19
अपर मुख्य सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः–1/अ0प्र0–06–16/2019 3723 /पटना, दिनांकः 29.5.19

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राडा/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव/अवर सचिव/ सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/19

(उदय कान्त चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

Memo